!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस–नोट

दिनांकः– 11.02.2018

☞ ***5 स्थाई वारण्टी गिरफ्तार :–***

पुलिस अधीक्षक करौली अनिल कयाल के निर्देशन में जिले में मफरूर, स्थाई वारण्टी/वारण्टीयों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 5 स्थाई वारण्टी, को गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली करौली :–

1. दिनांक 10.02.2018 को बृजराज हैड कानि. 105 के द्वारा कोर्ट केस नं. 162/15 न्यायालय ए. सी.जे.एम. करौली की पालना में स्थाई वारण्टी रामराज पुत्र जमनलाल जाति महाजन निवासी फूटा कोट करौली को राम मन्दिर के पास सबलगढ मध्यप्रदेश से को गिरफ्तार किया गया।
2. दिनांक 11.02.2018 को रामनिवास हैड कानि. 66 के द्वारा कोर्ट केस नं. 416/04 न्यायालय सी.जे.एम. करौली की पालना में स्थाई वारण्टी चरण पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी मचेट थाना मासलपुर को जयपुर से गिरफ्तार किया गया।

थाना सदर हिण्डौन :–

1. दिनांक 10.02.2018 को छुट्टनलाल सहायक उप निरीक्षक के द्वारा कोर्ट केस नं. 883/06 न्यायालय ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम. नं. 1 हिण्डौन सिटी की पालना में स्थाई वारण्टीया श्रीमति जगवंती पत्नि सत्तू उर्फ सत्यप्रकाश जाति मीना निवासी कटकड को मौजा टीकरी जाफरान थाना महवा से गिरफ्तार किया गया।
2. दिनांक 10.02.2018 को महेश चन्द हैड कानि. 1527 के द्वारा कोर्ट केस नं. 223/12 न्यायालय ए.सी.जे.(जे.डी.)जे.एम. नं. 1 हिण्डौन सिटी की पालना में स्थाई वारण्टी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र सीताराम जाति नाई निवासी रायपुर थाना बजीरपुर को नोह झील मथुरा से गिरफ्तार किया गया।

थाना श्रीमहावीरजी :– दिनांक 10.02.2018 को राजाराम सहायक उप निरीक्षक के द्वारा कोर्ट केस नं. 423/05 न्यायालय सी.जे. (जे.डी.) जे.एम. श्रीमहावीरजी की पालना में वारण्टी फट्टू उर्फ राजहसन पुत्र अमरद्दीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा श्रीमहावीरजी को कस्बा श्रीमहावीरजी से गिरफ्तार किया गया।

☞ ***शराब पीकर वाहन चलाते हुए एक गिरफ्तार –***

थाना कुडगॉव :– दिनांक 10.02.2018 को मोहिन्द्रसिंह हैड कानि. 116 के द्वारा दौराने गश्त, चैंकिग शराब पीकर वाहन चलाते हुए आरोपी बबलूराम पुत्र छोटीराम जाति मीना निवासी आखावाडा थाना श्रीमहावीरजी को बस स्टेण्ड कुडगॉव से धारा 185 एम.वी.एक्ट में गिरफ्तार कर वाहन को जप्त किया गया।

☞ *7 जुआरी गिरफ्तार, जुआ राशि 13,970 /- रूपये जप्त -*

थाना सदर हिण्डौन – दिनांक 10.02.2018 को ऋषिकेश हैड कानि. चौकी प्रभारी महू को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मौजा महू इब्राहिमपुर में दीना की बगीची के पास सार्वजनिक स्थान पर कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे है। उक्त सूचना पर आरोपी 1. राजेश पुत्र कलूआराम 2. बच्चू पुत्र बालूराम 3. जीतेन्द्र पुत्र हरीसिंह 4. पप्पू पुत्र रामेश्वर 5. लाडम पुत्र जगनसिंह 6. सोन पुत्र बालूराम 7. कुलदीप पुत्र टीकम जातियान जाट निवासीगण महू इब्राहिमपुर थाना सदर हिण्डौन को गिरफ्तार कर आरोपीगण के कब्जे से जुआ राशि 13,970/- रूपये, मय 52 ताश के पत्ते बरामद कर अभियोग संख्या 61/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में पंजीबद्व किया गया।

☞ *शांति भंग करने पर 9 व्यक्ति गिरफ्तार -*

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 10.02.2018 को प्रहलादसिंह हैड कानि 64 के द्वारा मासपुर मोड चुंगी नाका पर आपस में लड–झगड कर, राहगीरों से गाली–गलोच कर, मरने मारने पर उतारू हाने व पुलिस द्वारा काफी समझाने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. समयसिंह पुत्र श्योराज जाति मीना निवासी चैनपुर थाना सदर करौली 2. शिवसिंह पुत्र विश्राम जाति मीना निवासी निवासी चैनपुर थाना सदर करौली 3. काडू पुत्र हल्के जाति मीना निवासी चैनपुर थाना सदर करौली को धारा 151 Cr.PC में गिरफ्तार किया गया।

थाना नादौती – दिनांक 10.02.2018 को हेतराम हैड कानि. 10 के द्वारा मौजा केमला में राहगीरों से गाली–गलोच कर, मरने मारने पर उतारू हाने व पुलिस द्वारा काफी समझाने पर, नहीं मानने पर आरोपी प्रेमराज पुत्र शिवजीलाल जाति मीना निवासी कैमला को धारा 151 Cr.PC में गिरफ्तार किया गया।

थाना बालघाट – दिनांक 10.02.2018 को हेमेन्द्रसिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी के द्वारा बालघाट बस स्टैण्ड पर आपस में लड–झगड कर, राहगीरों से गाली–गलोच कर, मरने मारने पर उतारू हाने व पुलिस द्वारा काफी समझाने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. भूपेन्द्रसिंह उर्फ वीरसिंह पुत्र समयसिंह जाति प्रजापत निवासी भण्डारी 2. पुष्पेन्द्रसिंह चौहान पुत्र श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी भण्डारी को धारा 151 Cr.PC में गिरफ्तार किया गया।

थाना कैलादेवी – दिनांक 10.02.2018 को महेन्द्रसिंह सहायक उप निरीक्षक के द्वारा कस्बा कैलोदेवी में आपस में लड–झगड कर, राहगीरों से गाली–गलोच कर, मरने मारने पर उतारू हाने व पुलिस द्वारा काफी समझाने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. ऋषिकेश पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी कैलादेवी 2. मनकेश पुत्र बली जाति मीना निवासी बरगमा 3. तेजवान पुत्र बद्रीप्रसाद जाति सिकलीगर निवासी सालाबाद थाना बयाना जिला भरतपुर को धारा 151 Cr.PC में गिरफ्तार किया गया।